



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232155
CG-DL-E-27122021-232155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5003]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943

No. 5003]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5394(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० आ० 3543(अ), तारीख 27 अगस्त 2021, भारत के राजपत्र सं० 3250 तारीख 31 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील देपालपुर जिला इन्दौर राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 29 सितंबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : इन्दौर		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
देपालपुर	धुरेरी	221	00	08	05
		222	00	24	07
		223	00	00	20
		224	00	01	42
		263/1/2	00	25	97
		263/2	00	21	71
		262	00	00	20
		280	00	03	50
		281	00	00	38
		1	00	05	72
देपालपुर	झलारिया	17	00	24	09
		15	00	16	63
		13	00	00	71
		20	00	00	62
		59	00	02	78
		54	00	11	88
		53	00	21	53
		52	00	17	73
		51	00	03	71
		36	00	12	06
		35	00	22	50
		32	00	19	16

		25	00	02	87
देपालपुर	मोथला	7 (85NEW)	00	03	01
		9/1 (110 NEW)	00	14	19
		9/2 (111 NEW)	00	14	62
		9/3 (113 NEW)	00	15	69
		27 (114 NEW)	00	10	19
		14 (115 NEW)	00	00	57
		21 (117 & 116 NEW)	00	07	61
		20 (118 New)	00	12	13
		18 (119 New)	00	03	32
		50 (124, 123 New)	00	16	88
		49 (125 New)	00	01	41
		48 (126, 127 New)	00	13	73
		44, 45 (69 New)	00	00	96
		68 (67 New)	00	00	20
		69 (68 New)	00	16	75
		70 (65 New)	00	05	66
		71 (64 New)	00	00	20
		74 (62 New)	00	18	14
		75 (61 New)	00	05	93
		7 (89, 88 New)	00	04	21
		133 (98 New)	00	04	86
		134 (98 New)	00	12	96
		135 (106 New)	00	25	89
		136 (104 New)	00	06	34
		137 (103 New)	00	12	86
		120 (175 New)	00	05	83
		119 (178 New)	00	06	31
		118 (177 New)	00	15	13
		116 (179 New)	00	04	60
		115 (253 New)	00	17	29
		111 (163 New)	00	04	55

		110 (161 New)	00	12	78
		108 (254 New)	00	08	72
		94 (268 New)	00	01	75
		105 (261 New)	00	22	32
		102 (260 new)	00	11	71
		101 (263 New)	00	08	57
		181 (278 New)	00	04	40
		237 (346 New)	00	05	14
		345 (345 New)	00	08	04
		240 (347New)	00	00	34
देपालपुर	सलमपुर शहरी	1	00	02	14
		10	00	19	93
		14	00	33	47
		16	00	01	23
		17	00	06	49
		18	00	07	88
		21	00	00	68
		29	00	11	38
		36	00	19	79
		35	00	09	03
		34	00	13	71
		33	00	19	65
		57	00	04	19
		56	00	05	51
		55	00	44	27
		62	00	05	29

[फा. सं.आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5394(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 3543(E) dated 27 August 2021 published in the Gazette of the India Gazette No 3250 dated 31 August 2021 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in Tehsil Depalpur District Indore In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 29 September 2021

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Indore		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Depalpur	Dhureri	221	00	08	05
		222	00	24	07
		223	00	00	20
		224	00	01	42
		263/1/2	00	25	97
		263/2	00	21	71
		262	00	00	20
		280	00	03	50
		281	00	00	38
Depalpur	Jhalariya	1	00	05	72
		17	00	24	09
		15	00	16	63
		13	00	00	71
		20	00	00	62
		59	00	02	78
		54	00	11	88
		53	00	21	53
		52	00	17	73
		51	00	03	71
		36	00	12	06

		35	00	22	50
		32	00	19	16
		25	00	02	87
Depalpur	Mothala	7 (85NEW)	00	03	01
		9/1 (110NEW)	00	14	19
		9/2 (111NEW)	00	14	62
		9/3 (113NEW)	00	15	69
		27 (114NEW)	00	10	19
		14 (115NEW)	00	00	57
		21 (117 & 116NEW)	00	07	61
		20 (118 New)	00	12	13
		18 (119 New)	00	03	32
		50 (124, 123New)	00	16	88
		49 (125 New)	00	01	41
		48 (126, 127 New)	00	13	73
		44, 45 (69 New)	00	00	96
		68 (67 New)	00	00	20
		69 (68 New)	00	16	75
		70 (65 New)	00	05	66
		71 (64 New)	00	00	20
		74 (62 New)	00	18	14
		75 (61 New)	00	05	93
		7 (89, 88 New)	00	04	21
		133 (98 New)	00	04	86
		134 (98 New)	00	12	96
		135 (106 New)	00	25	89
		136 (104 New)	00	06	34
		137 (103 New)	00	12	86
		120 (175 New)	00	05	83
		119 (178 New)	00	06	31
		118 (177 New)	00	15	13
		116 (179 New)	00	04	60

		115 (253 New)	00	17	29
		111 (163 New)	00	04	55
		110 (161 New)	00	12	78
		108 (254 New)	00	08	72
		94 (268 New)	00	01	75
		105 (261 New)	00	22	32
		102 (260 new)	00	11	71
		101 (263 New)	00	08	57
		181 (278 New)	00	04	40
		237 (346 New)	00	05	14
		345 (345 New)	00	08	04
		240 (347 New)	00	00	34
Depalpur	Salampur Urban	1	00	02	14
		10	00	19	93
		14	00	33	47
		16	00	01	23
		17	00	06	49
		18	00	07	88
		21	00	00	68
		29	00	11	38
		36	00	19	79
		35	00	09	03
		34	00	13	71
		33	00	19	65
		57	00	04	19
		56	00	05	51
		55	00	44	27
		62	00	05	29

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.